भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 822
दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाले परिवार

†822. डॉ. भोला सिंहः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के शुभारंभ के बाद से इसके अंतर्गत कितने परिवार शामिल हुए हैं; और
(ख) जल-संकट ग्रस्त जिलों में जल गुणवत्ता और संरक्षण प्रयासों की स्थिति क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु कार्यशील नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के ठोस प्रयासों से लगभग 12.43 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने की सूचना है। इस प्रकार, 23.07.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ (80.95%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है।

उत्तर प्रदेश में, मिशन की शुरुआत में, केवल 5.16 लाख (1.93%) ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना मिली थी। तब से, लगभग 2.35 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 23.07.2025 तक, राज्य के 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 2.40 करोड़ (89.95%) से अधिक घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

(ख): जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि यह सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, जल जनित स्वास्थ्य जोखिम की समय पर पहचान/मूल्यांकन करने तथा उचित तथा नियमित कीटाणुशोधन जैसे निवारक/उपचारात्मक उपाय करने के लिए अनिवार्य है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नल कनेक्शन के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस:10500 मानकों को बैंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है।

वर्तमान कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत निधियों के अपने वार्षिक आबंटन के 2% तक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, कुशल जनशक्ति को कार्य पर रखना, फील्ड परीक्षण किटों (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी करना शामिल है। जागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि भी विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पीने के पानी के नमूना संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी तथा पर्यवेक्षण के लिए सक्षम बनाने हेतु, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है।

जैसा कि राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) द्वारा सूचित किया गया है, जल शक्ति अभियान (जेएसए) को 2019 में 256 जल-संकट वाले जिलों में एक समयबद्ध, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप में शुरू किया गया था। इन प्रयासों को बनाए रखने के लिए, एनडब्ल्यूएम ने 2020 में कैच द रेन (सीटीआर) अभियान शुरू किया, जिसे बाद में 2021 में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए : सीटीआर) में शामिल कर लिया गया, जिसने पूरे भारत में सभी जिलों, ब्लॉकों और नगर पालिकाओं में कवरेज का विस्तार किया।

जेएसए : सीटीआर अब एक वार्षिक विशेषता बन गई है, जिसके छठा संस्करण का 22 मार्च 2025 को 30 नवंबर 2025 तक "जल संचय, जन भागीदारी: जन जागृत की ओर" विषय के तहत कार्यान्वयन के लिए उद्घाटन किया गया है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2025 अभियान की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और वर्षा जल संचयन प्रणालियों को लागू करने में राज्यों और स्थानीय निकायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, विशेष रूप से जल-संकट वाले क्षेत्रों में, भारत सरकार ने एक व्यापक, बहु-आयामी दृष्टिकोण स्थापित किया है जिसमें केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) तथा तकनीकी अधिकारी (टीओ) समीक्षा के लिए क्षेत्रीय दौरे और जेएसए : सीटीआर अभियान के कार्यान्वयन की निगरानी करना, तकनीकी मार्गदर्शन और जल संरक्षण हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मदद शामिल है।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन, राष्ट्रीय जल मिशन का एक प्रमुख अभियान है, जिसमें मनरेगा अमृत; मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार योजना; वॉटर शेड विकास योजना; प्रति बूंद अधिक फसल आदि जैसे सभी विकास कार्यक्रमों का अंतर-क्षेत्रीय समन्वय शामिल है। इसके अलावा, जिलों में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं, जो स्थानीय लोगों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और वर्षा जल संचयन प्रणालियों के कार्यान्वयन में जिला प्रशासन की सहायता करने के लिए समर्पित संसाधन और ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जिलों ने सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधित जिलों में जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की हैं। जेएसए: सीटीआर पोर्टल (jsactr.mowr.nic.in) पर विभिन्न हितधारकों द्वारा अपलोड की गई जानकारी के अनुसार, अब तक लगभग 1.87 करोड़ जल से संबंधित निर्माण कार्य किए गए हैं, लगभग 13 लाख पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण किया गया है, और जेएसए: सीटीआर अभियान के तहत लगभग 78 लाख वाटरशेड संरचनाएं तैयार की गई हैं।

*****